शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) आवास राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारें राज्य/जिला स्तरीय आवास संस्थाओं के गठन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य स्तरीय गुजरात आवास बोर्ड 1960 से अस्तित्व में है। गुजरात आवास बोर्ड ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भड़ोच, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीनगर, भावनगर और भुज (कच्छ) जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित किये हैं। खेड़ा, महसाना, पंचमहल, अमरेली, साबरकांठा, बनसकांठा, वलसाड और सुरेन्द्र नगर जिलों में राज्य आवास बोर्ड का कार्यालय नहीं है। चूंकि इन जिलों में भूमि की कम उपलब्धियां मकानों की कम मांग के कारण, निर्माण कार्य नाममात्र है, इसलिए राज्य सरकार ने आवास बोर्ड का कोई कार्यालय वहां नहीं खोला है। किन्तु बताया गया है कि इन जिलों में निर्माण कार्यों की देखरेख आस-पास के जिलों में स्थापित आवास बोर्ड कार्यालयों द्वारा की जा रही है।

शहरों को "क" और "ख" श्रेणी के अन्तर्गत लाने संबंधी मानदण्ड

2257. **श्री रामजी लाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े-बड़े शहरों को (क) और (ख) श्रेणी के अन्तर्गत लाने के मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में 28 फरवरी 1993 तक उक्त श्रेणियों में कितने शहरों को शामिल किया गया है ;

(ग) क्या सरकार (क) श्रेणी में आने वाले शहरों के विकास के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो उक्त अवधि में राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए इस सम्बन्ध में कितना प्रावधान किया गया है और (क) और (ख) श्रेणी में कितने शहरों को शामिल किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास के प्रयोजनार्थ बड़े शहरों को "क" तथा "ख" श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है। अतः इस बारे में योजनाएं तैयार करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा ऐसी विकास योजनाओं के परिव्यय राज्य योजनाओं के भाग के रूप में शामिल किये जाऐंगे।

शहरी विकास मंत्रालय ने एक लाख से अधिक आबादी वाले छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के समन्वित विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत तीन लाख तक की आबादी वाले कुछ शहरों (राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा तथा अनुशंशित) को भी सहायता दी गई थी। शहरों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। अब तक, 178.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा 518 शहरों को लाभान्वित किया गया है।

तीन लाख तक की आबादी वाले शहरों को लाभान्वित करने के लिए अब इस योजना को संशोधित किया गया

है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले छोटे तथा मध्यम शहरों को आबादी के आधार पर निम्नलिखित-नुसार क, ख, ग और घ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :–

शहर की श्रेणी	आबादी
क	20,000 से कम
ख	20,000 से 50,000 तक
ग	50,000 से 1,00,000 तक
घ	1,00,000 से 3,00,000 तक

(घ) विभिन्न शहरों को केन्द्रीय सहायता देने हेतु वर्ष 1993–94 के दौरान 20.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है। श्रेणीवार कोई विशिष्ट नियतन नहीं किया गया है। प्रत्येक आकार की श्रेणी के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले शहरों की संख्या केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आकार पर निर्भर करेगी।

Allotment Quota of Flats/Plots by DDA for MPs

2258. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL:
SHRI IQBAL SINGH:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a quota for Members of Parliament in the allotment of flats/plots made by the Delhi Development Authority during some years back;

(b) if so, the number of Members of Parliament who have availed this benefit of housing premises in various schemes of Delhi Development Authority;

(c) whether it is also a fact that quota has now been abolished; and

(d) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The DDA has reported that at present there is no quota of flats/plots kept reserved for Members of Parliament. 3 per cent reserved quota in the allocation/allotment of SFS flats was, however, provided under the 4th and 5th Self Financing Schemes which were launched in 1981 and 1982 respectively. But no quota of plots has been kept reserved after 2-1-79.

(b) No separate record has been kept by DDA regarding allocations/allotments made to Members of Parliament. Therefore, the details cannot be furnished in this regard.

(c) Yes, Sir.

(d) DDA reports that the issue of reservation for various categories of registrants was reviewed by the Bawaja Committee, and based on its recommendation, the reservation respect of Members of Parliament was abolished.

Construction of Bungalows at Sainik Farms Area

2259. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of bungalows constructed at Sainik Farms area;

(b) how many of them are authorised constructions; how many of them are unauthorised constructions and what are the details thereof;

(c) whether electricity and water supplies have been disconnected in these unauthorised bungalows, if so,